

एनेक्सर-2

आज दिनांक 21/12/15 को माननीय सरपंच सा० श्री मंजीत कौर
 की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन श्रीमान् मुख्य कार्यकारी
 अधिकारी महोदय एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद्, बून्दी
 के आदेश क्रमांक 736..... दिनांक 29/11/15 एवं श्रीमान् कार्यक्रम अधिकारी
 महोदय, पंचायत समिति तालेड़ा, जिला-बून्दी (राज०) के आदेश क्रमांक
 दिनांक के अनुसार किया जा रहा है।

प्रस्ताव सं० :- सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सार्वजनिक
 निर्माण विभाग द्वारा लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क किमी० 7/550
 से 9/470 में सड़क सुदृढीकरण कार्य किया जाता है तो
 इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। यह निर्णय
 सर्वसम्पति से लिया गया।

मंजीत कौर
 ग्राम सभा के अध्यक्ष
 पंचायत समिति तालेड़ा
 जिला-बून्दी

मंजीत कौर
 सरपंच
 ग्राम पंचायत अलहाबाद
 पं. स. जिला-बून्दी

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 21/12/15 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

उपखण्ड अधिकारी ने समिति को बताया कि लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क किमी 0 7/550 से 9/470 तक सड़क सुदृढीकरण कार्य प्रस्तावित 1.92 है० (वन भूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड तालेड़ा के स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

वन भूमि आयोजन के प्रस्ताव के संबंध में ग्राम पंचायत अल्फानगर द्वारा वन अधिकार अधिनियम की बैठक 21/12/15 को आयोजित की जा चुकी है। समस्त ग्रामवासी एवं वन अधिकार समिति द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई। इस हेतु वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत अल्फानगर की बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया साथ ही ग्राम पंचायत अल्फानगर द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ हेतु दिनांक 21/12/15 को जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः बैठक कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त हुई।

बैठक कार्यवाही में उपस्थित विवरण :-

SDM तालेड़ा

22/12/15
उप खण्ड अधिकारी
तालेड़ा

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 11.01.2016 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तरीय समिति बून्दी की बैठक इस कार्यालय के पत्र संख्या माडा/वनअधिनियम/2015-16/653 दिनांक 09.09.2015 के क्रम में आयोजित की गई। बैठक में अधोलिखित सदस्यगण उपस्थित हुये :-

क्र.सं.	नाम सदस्यगण
1	उपवन संरक्षक, बून्दी
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी
3	श्री मुरली प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 12
4	श्री महेश कुमार, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 14
5	श्रीमती प्रसन्न मीणा जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 19

बैठक में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत सड़क लक्ष्मीपुरा से बून्दी किलोमीटर 0-0 से 10-0 तक वाईन्डिंग किये जाने हेतु 7/550 से 9/470 तक 1.92 हैक्टर वन भूमि के जनहित में व्यपवर्तन करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को जारी करने के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत विचार किया गया।

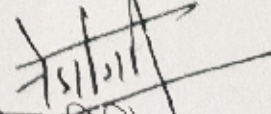
ग्राम अल्फानगर की 1.92 हैक्टर वन भूमि हेतु कोई दावा जिला स्तरीय समिति, बून्दी के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इस क्रम में दिनांक 22.12.2015 को उपखण्ड अधिकारी तालेडा की अध्यक्षता में भी वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण भी इस बैठक में प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय समिति, तालेडा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सहमति एवं अनुशंसा की गई है। अतः जिला स्तरीय समिति ग्राम अल्फानगर (पंस. तालेडा) की 1.92 हैक्टर वन भूमि को लक्ष्मीपुरा से बून्दी किलोमीटर 0-0 से 10-0 तक वाईन्डिंग किये जाने हेतु 7/550 से 9/470 तक सड़क कार्य हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंसा करती है।

34
(नेहा गिरि)

जिला कलक्टर

एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

दिनांक : 11.1.2016


(नेहा गिरि)

जिला कलक्टर

एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

क्रमांक:- 801

प्रतिलिपि श्री सदस्यगण

FRA

FORM-I
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Bundi

No.:-

Dated:- .01.2016

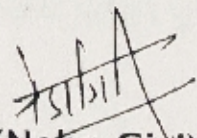
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 1.92 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Bundi for Upgradation of existing BT Road Laxmipura to Bundi (Forest area length Km. 7/550 to 9/470) (purpose for diversion of forest land) in Bundi District in the State of Rajasthan falls within jurisdiction of Villages in Gram Panchayat Alfa Nagar village(s) in Talera tehsil.

It is further certified that

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.92 hectares of forest Area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: as above


(Neha Giri)
District Collector
Bundi (Raj.)

कार्यालय जिला परिषद, बून्दी

क्रमांक:- माडा()/वन अधिनियम/2014-15/ 802
(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

दिनांक:- 11.01.2016

प्रभारी अधिकारी, राजस्व
कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

विषय:- प्रधान मंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत लक्ष्मीपुरा से बून्दी तक सड़क निर्माण हेतु 1.92 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
संदर्भ:- आपक पत्र संख्या ए 08-5(44)राजस्व/2008/5694 दिनांक 23.10.2015 एवं पत्र संख्या 6328 दिनांक 03.12.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे जिसके द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत सड़क लक्ष्मीपुरा से बून्दी किलोमीटर 0-0 से 10-0 तक वाईन्डिंग किये जाने हेतु 7/550 से 9/470 तक 1.92 हैक्टर वन भूमि के जनहित में व्यपवर्तन करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा भिजवाने हेतु लिखा गया है। पत्र के साथ ग्राम पंचायत अल्फानगर की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपखण्ड स्तरीय समिति तालेडा की दिनांक 22.12.2015 को आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण एवं दिनांक 11.01.2016 को जिला स्तरीय समिति के बैठक कार्यवाही विवरण की मूल प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
संलग्न : मूल प्रतियां।

(भवेदीय)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बून्दी

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में सदस्यों की संख्या
1 २१।१२।८	2 पंचायत भवन	3 प्रदीप शर्मा	4 कांतु लाल, छोटी बाई राम प्रसाद लोकेश्वरी मान कौर कुलनाबाई जगदीश भागी	5 वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत प्रस्ताव सं0 1 आज दिनांक २१/१२/१८ को ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सरपंच साहब श्री रमेश चंद द्वारा की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिसमें लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क किमी 0 7/550 से 9/470 तक जिसमें सुट्टीकरण कार्य में ग्रामवासी एवं समिति को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव का सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। अन्त में पधारें हुये सभी सदस्यों का अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद देकर बैठक समाप्त की घोषणा की गई।	6

२०१०-११
श्री. व. अविनाशर
श्री. व. अविनाशर
श्री. व. अविनाशर

St. John's

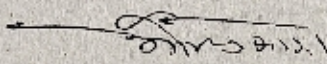
कार्यालय ग्राम पंचायत, अल्फानगर

पंचायत समिति तालेड़ा, जिला-बून्दी (राज०)

दिनांक :- 21/12/15

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अल्फानगर के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क किमी० 7/550 से 9/470 तक सुदृढ़ीकरण का कार्य करने में ग्राम पंचायत अल्फानगर को कोई आपत्ति नहीं है। जिसका ग्राम पंचायत कोरम द्वारा ग्रामसभा दिनांक 21/12/15 के प्रस्ताव सं०1..... में प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया जा चुका है।


ग्राम सेवक पदेन सचिव

ग्रा. प. अल्फानगर
प. त. तालेड़ा जि. बून्दी

संजीत कौट

अल्फानगर
तालेड़ा